

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 23/अ/1998-99

प्रमाणित किया जाता है कि विवेकानन्द शिक्षण संस्थान

राजौरा जिला मुम्बई का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान

अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण

आज किया गया।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से

आज दिनांक बारह माह जून सन् एक हजार

नौ सौ अठानवे को मुम्बई में दिया गया।

रजिस्ट्रार संस्थाएं

राजस्थान अस्थाप

मुम्बई (राज०)